

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

**अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं
कर्तव्य
(मैनुअल-2)**

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, भस्तुरी बाईपास, लालपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दूरध्वाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-34/2007

दिनांक : 16 जून, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री भुवन चन्द्र जोशी को, नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10, वेतनमान ₹ 56100-177500 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवर्टित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री भुवन चन्द्र जोशी को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)

महानिदेशक

संख्या 515 (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-31/2011, तादिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलगढ़ छोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. सनस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी यात्रावलो हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)

अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लालपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-34 / 2007

दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

दिनांक : / 6 जून, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, श्री जगदीश सिंह पटवाल को, नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स ने लेवल-४, वेतनमान ₹ 47600-151100, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आविता ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री जगदीश सिंह पटवाल को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
ग्राहनिदेशक

तथ्या ५।६ (१) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-31 / 2011, तददिनांकित।

ग्रन्तिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. गहालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलामड रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रैजरी, कोषागांव निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. सनस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी को इस अस्थाय से प्रेषित की लृपता इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कार्य करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबराइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्द्रोला)
अपर निदेशक



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लौहपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info.uk@nic.in

दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : ५/३/सू.एवलो.स.वि.(प्रशा.)-३४/२००७

दिनांक : १६ जून, २०२१

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रधान सहायक, श्री गोपाल राम को, नियमित चयनोपरान्त प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7, वेतनमान ₹ 44900-142400 के पद पर कार्यभार छृष्ट करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, रुक्ना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार छृष्ट किया जाता है तो श्री गोपाल राम को प्रधान सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
गहनिदेशक

संख्या ५/३/सू.एवलो.स.वि.(प्रशा.)-३१/२०११, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मठालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलांगड़ रोड, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोवागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के गांधीम से।
3. संसद विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखाएं।
4. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित कार्मिकों को।
6. संबंधित कार्मिकों की निंजी पत्रावली हेतु।
7. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्द्रोला)
अपर निदेशक



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

फोनमार्ग: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रक: 566 / सू.एप्लो.त.वि.(प्रश्ना)-39/2001

दिनांक ०५ जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के अधिकारी वीर भर्ती नियामनवाली, 1974 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002)(संशोधन), नियमनवाली, 2010 तथा संशोधन नियमावली, 2019 के अन्तर्गत श्री प्रभात कुमार पुंत्र स्व. भवनमहेश्वर प्रसाद शुश्ला तत्कालीन अतिरिक्त जिला रुचना अधिकारी, उत्तराखण्डी, हाल निवास: ग्राम-फैगू पो.ओ.-नागजगई, जिला-खन्दप्रथम, को मृतक अधिकारी के रूप में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, के अधीन जिला सूचना कार्यालय, उत्तराखण्डी में रियत कनिष्ठ सहायक के पद पर लेवल-३, वेतनमान ₹21700-66100 में कार्यमार्ग ग्रहण करने की तिथि से दो बार्ष के परिवीक्षण में रखते हुए निन्म जारी के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है—

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और किसी श्री रामय-विना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
2. श्री प्रभात कुमार को शासन द्वारा संसद्य-संसद्य पर देय सहायाई एवं अन्य भर्ती श्री अनुमन्य होते।
3. इह नियुक्ति राष्ट्रीय पेशन योजना (NPS) से अप्लाई की रही।
4. श्री प्रभात कुमार मृत अधिकारी की वीर भर्ती नियामनवाली-1974 के प्रस्तुत-५(३)के अनुसार "मृत सरकारी सेवकों के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करें, जोकि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु से दौलत धूप आश्रित थे"
5. श्री प्रभात कुमार जो कार्यमार्ग ग्रहण करने से पूर्व नियन्त्रित प्रमाण-पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने जाते—
 (अ) अधिकृत शासकों चिकित्सक का रखस्थता प्रमाण-पत्र।
 (ब) दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
 (स) अंतिम स्कूल/राजस्थान कारित्र प्रमाण-पत्र।
 (द) चरित्र एवं प्राप्तवृत्त स्त्यापन कार्य आदि भरकर (संलग्न)।
 (ग) चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

विदि श्री प्रभात कुमार को उक्त अर्थात् नाम्य हो तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, देहरादून में अपना कार्यमार्ग ग्रहण करना होगा। नियुक्ति जावधि के अन्दर कार्यमार्ग ग्रहण के लिए की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(रघुवीर सिंह ढीहान)
महानिदेशक

संख्या: ५६६ / सू.एप्लो.त.वि.(प्रश्ना)-39/2001, तदनिलिङ्गित

प्रतिलिपि निन्मांकित को सूचनार्थ एवं आपूर्तक कार्यवाही इत्युपलिपि—

1. जिलाधिकारी, उत्तराखण्डी।
2. वरिष्ठ कोसाईकारी, उत्तराखण्डी जो जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्डी के मख्यसे।
3. जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्डी को इस निर्देश के साथ कि कार्यमार्ग ग्रहण करने भी पूर्व संग्रह औपचारिकताएं पूर्ण कर तदसंबंधी सूचना सुच्छालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री प्रभात कुमार मुख्य भवनमहेश्वर प्रसाद शुश्ला, ग्राम-फैगू, पो.ओ. नागजगई, जिला-खन्दप्रथम।
5. विभागीय पेक्षणाइट हेतु

(डॉ. अमित चन्द्रोला)
उपर्युक्त निदेशक



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
 'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: ५४७ / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रश्ना)-०७ / २००५

दिनांक ०७ जुलाई, २०२१

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या: ५४, दिनांक २५.०३.२०२१ के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित श्री सुन्दर, (अनुक्रमांक-1225000090, अनुसूचित जाति) पुत्र श्री राम लाल, ग्राम-तेलपुर, पो.ओ. विहारीगढ़, हरिद्वार को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन जिला सूचना कार्यालय, चम्पावत में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद, लेवल-५, ₹२९२००-९२३०० (पूर्व वेतनमान ₹५२००-२०२००, ग्रेड वेतन ₹२८००) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

१. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
२. उपर्युक्त अभ्यर्थी अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
३. उपर्युक्त अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई भार्ग व्यय देय नहीं होगा।
४. उपर्युक्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
५. उपर्युक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे:-
 १. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वरक्षता प्रमाण-पत्र।
 २. समस्त घल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसका वह स्वामी हो।
 ३. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा-पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र।
 ४. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ-पत्र।
 ५. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र।
 ६. अतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र।
 ७. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
 ८. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण-पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी/उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।
 ९. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपर्युक्त नहीं पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त लम्जी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हक्क दाव नहीं होगा।
 १०. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग—02
संख्या:- /XXII(2)/2018-4(4)2010
दिनांक: ३। जुलाई, 2021

विज्ञप्ति / प्रोल्नति

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उपनिदेशक, वेतन लेवल-11, 67700-2087700 (वेतनमाला '15600-39100, ग्रेड पे '6600) में कार्यरत श्री कलम सिंह चौहान को नियमित चयनोपराना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक के पद पर वेतन लेवल-12, '78800-209200 ('15600-39100, ग्रेड पे '7600) में प्रोल्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल भहोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

संख्या:/३(1)/XXII(2)/2018-4(4)2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपि दिनांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- निजी सचिव, गाँगुल्यमंत्री जी को ना. मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव नहोदय के संज्ञानार्थ।
- सचिव, श्री राज्यपाल।
- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राज्यकार्य मुद्रणालय, रुड़की को सरकारी गजट के आगमी अंक में प्रकाशनार्थ।
- आमुक्त बदलाव गण्डल पौड़ी/कुमाऊ अन्डल नैनीताल।
- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
- संबंधित अधिकारी/संबंधित अधिकारी जो व्यक्तिगत पत्रावली।
- एन.आई.सी./मैडिया सेटर, सचिवालय।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रस.एस.टोलिया)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
 सूचना अनुभाग-02
 राज्याः— /XXII(2)/2018-4(4)2010
 दिनांक: ३१ जुलाई, 2021 संख्या २४२। प्रकाशित तिथि ८-८-२०२१।

विज्ञप्ति / प्रोत्तिः

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नान्ति रूचना अधिकारियों, वेतन लेवन ७ (44900-142400) (वित्तानामा ९300-34800, ग्रेड पे ४600), को नियमित चयनेपश्चात् सहायक निवेशक वेतन लेवन १०, (५६१००-१७७५००) (वित्तानामा १५०००-३९१००, ग्रेड पे ५४००) के पद पर प्रोत्तिः प्रदान करते हुए ०२ वर्ष की विहित परियोग्यता अवधि एवं रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय राहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं।

1. श्रीमती अद्यना
2. श्री बद्री चंद
2. यह प्रदोषन्ति कार्यभार ग्रहण करने की विधि से प्रसारी मानी जायेगी।

(रणवीर सिंह चौहान)
 अपर संवेद

संख्या ०४(१) / XXII(2)/2018-4(4)2010, तदाविगांकितः

निवेशक निम्नान्ति दो सूचनार्थ एवं अंतर्कालीन लार्याओं हेतु प्रेषितः—

1. निजी संघर्ष मा. मुख्यमंत्री जी का मा. दुष्टप्रमंत्री के संशानार्थ।
2. निजी संघर्ष मुख्य संघर्ष, उत्तराखण्ड शासन के नुड्डे संघर्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
3. संघर्ष, श्री राज्यपाल।
4. निवेशक, मुहूर्ण एवं लेखन साक्षी, राजकीय नुद्रणालय, रूद्रकी वंश सरकारी गजल और आगमी शक में प्रकाशनार्थी।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / नुमाइ मण्डल नैनीताल।
6. नहनिवेशक, राजना एवं लोक अंदर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहनदून।
7. महालेलवाला, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य कोण्ठिकारी, देहरादून।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित लोडिकारी / संबंधित लोडिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
11. इनाई.सू. / सूचना केन्द्र, राज्यपालय।
12. गार्ड लाइन।

अहम
 (एस.एस.सं.लैया)
 संयुक्त संसद

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुशासन-02
संख्या: १०४/XXII(2)/2018-4(4)2010
दिनांक: ३१/ जुलाई, 2021

विज्ञप्ति / प्रोल्लिंग

सूचना एवं लोक सम्बन्ध विभाग, उत्तराखण्ड के अनुशासन निम्नांकित सहायक निकेशकों वेतन
लेवल-10, '56100-177500' (वेतनमान '15600-33100, फ्रेड ऐ '5400) को नियमित चयनोपरान्त रुप
निदेशक वेतन। लेवल-11, '67700-2067700' (वेतनमान '5600-39100, फ्रेड ऐ '6600) के पद पर प्रोल्लिंग
प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परेवीक्षा अधिकारी पर रखे जाने को श्री राज्यपाल निम्नांकित सहायक स्पौष्टी
प्रदान करते हैं:-

1. श्री मनोज युमार श्रीवास्तव
2. श्री रवि गिजारनिंगौ
2. यह पदोल्लिंग कार्यभार प्रहण करने की विधि से प्रभावी मार्गी जायेगी।

(इण्डिर सिंह चौहान)

अपर सचिव

संख्या: १०४/XXII(2)/2018-4(4)2010, तददिनांकित।

अतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, पो. गुरुख्यमंत्री जी को भा. गुरुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को भूख्य सचिव भूख्य के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल।
4. निदेशक, दुर्घट एवं लेखन सामग्री, राजकीय युद्धाणलय, रुद्रवंशी को सरकारी गंजठ के आगामी वार्ष में प्रकाशनर्थी।
5. अध्येता गहलाल गण्डल पौड़ी/कुक्कुज मण्डल इनीताल।
6. गहनिदेशल, सूचना एवं लोक सम्बन्ध विभाग, उत्तराखण्ड, देहसदून।
7. महालेख कार्य, उत्तराखण्ड, देहसदून।
8. मुख्य कोषाधिकारी, देहसदून।
9. आहरण एवं वितरण आधिकारी, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
10. रांदिकारी/सर्वाधित अधिकारी की वाकेगत पत्रावृली।
11. एन.आई.सी./सूचना केन्द्र सचिवालय।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा-

(एस.एस.टो.लेया)

संयुक्त सचिव



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-66/2007

दिनांक १ नवम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे.आ.-सा.नि)अनु.-7 के शासनादेश संख्या: 44/xxvii(7)27(3)/2017, दिनांक 31 जनवरी, 2014 के अनुक्रम में निर्गत उत्तराखण्ड शासन, सूचना अनुभाग-02 के शासनादेश संख्या: 45/XXII(2)/49(सूचना)2002टी.सी., दिनांक 22 जनवरी, 2018 के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ अनुमन्य/स्वीकृत करने हेतु गठित विभागीय स्कीनिंग कमेटी की संस्तुति, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के आधार पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय, उधमसिंह नगर में कार्यरत वाहन चालक, श्री बब्बन राम को 15 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 15 अप्रैल, 2021 से लेवल-5, वेतनमान ₹29200-92300 एतदद्वारा अनुमन्य/स्वीकृत किया जाता है।

श्री बब्बन राम को उपरोक्त लाभ उपलब्ध वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य सेवा अभिलेखों का सज्जान लेते हुए अनुमन्य/स्वीकृत किया गया है। यदि इस संबंध में भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य दिखाएँ के संज्ञान में आता है तो विभाग द्वारा नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या: ॥६॥ (१)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-66/2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
4. जिला सूचना अधिकारी, उधमसिंह नगर।
5. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. संबंधित कार्मिक।
7. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग-2
संख्या—प[0] / XXII(2) / 2021-04(4)2010
देहरादून: दिनांक 30 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति आदेश


सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना अधिकारी, वेतन लेवल-7, रु0 44900-142400 (वेतनमान रु0 9300-34800 ग्रेड पे रु0 4600) में कार्यरत श्री प्रकाश सिंह भण्डारी को नियमित चयनोपरान्त कार्यगार सहण करने की तिथि से रहायक निदेशक के पद पर वेतन लेवल-10, रु0 56100-177500 (वेतनमान रु0 15600-39100, ग्रेड पे रु0 5400) से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परियोग्या अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डा० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्या— / XXII-2 / 2021-04(4)2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव मा० मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुद्रकी को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. सम्बंधित अधिकारी / सम्बंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली, (कृति भृपत्रिका)
8. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर देहरादून
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस०एस०टोलिया)
संयुक्त सचिव



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाङपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in

दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

संख्या : ।३।। / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-२७/२०११

दिनांक : २८ दिसम्बर, २०२१

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेश चन्द्र भट्ट को, नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ सहायक, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-५, वेतनमान ₹ २९२००-९२३०० के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

२. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री सुरेश चन्द्र भट्ट को कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(राष्ट्रवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या ।३।। / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-२७/२०११, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहासनपुर रोड, देहरादून।
२. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
३. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखाएं।
४. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. संबंधित कार्मिकों को।
६. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
७. विसारीय वेबसाइट हेतु।

(जे. अनिल चन्दोला)
आपर निदेशक



उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लालपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gm ail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक

/सूचनालोकवि.(प्रश्ना)-34/2007

देनांक ।। दिनांक ।। फरवरी 2022

कार्यालय आदेश

कार्यालय के प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री सुरेन्द्र सिंह को, नियमित चयनोपरात्म, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, लैलौल-10, वेतनमान ₹56100-17750 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक/कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री सुरेन्द्र सिंह को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या 23/0 (1)/सूचनालोकवि.(प्रश्ना)-34/2007, तबदिनांकित।

प्रियोंहितों जिनकीकाल को 'सूचनार्थ' एवं 'आवश्यक' कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकाल, उत्तराखण्ड, कौलानगर रोड, देहरादून।
2. सांचिव: सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, जाइबर-ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के गांधारमण्डल।
4. समर्पित विभागीय अधिकारी/प्रश्नांना/शास्त्रार्थी।
5. निदेशक, संजकीय गुदामपालय, रासनकार, रुक्की, हरिहार को इस आशय से प्रेषित कि न्यूपथा इसका प्रकाशन आंगनी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कृष्ट करें।
6. लोक्या प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक को।
8. सन्वाचित कार्मिल की निजी पत्रादली हेतु।
9. लिंगार्गीय देवसाइट हेतु।
10. गाँड़ फाइल हेतु।

(डॉ. अग्निल चन्द्रोला)
अपर निदेशक